



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 वैशाख, 1947 (श०)

संख्या - 177 राँची, सोमवार,

21 अप्रैल, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

17 मार्च, 2025

संख्या-03/आरोप-11-12/2024-29508(HRMS)--श्रीमती निशा तिर्की, झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक-406/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, करी, खूँटी के विरुद्ध राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक-1122, दिनांक 04.04.2024 के माध्यम से उपायुक्त, खूँटी के पत्रांक-111, दिनांक 05.03.2024 द्वारा आरोप पत्र प्रपत्र-‘क’ गठित कर उपलब्ध कराया गया ।

2. श्रीमती तिर्की के विरुद्ध उपायुक्त, खूँटी से प्राप्त आरोप पत्र को संशोधित करते हुए विभाग स्तर से आरोप पत्र में गठित किया गया, जिसमें निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

आरोप- करी प्रखण्ड के मौजा गुस्साटोली (थाना नं०-47) के खाता नं०-102, प्लॉट संख्या-887, रकवा-0.29 एकड़ भूमि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की भूमि है। परन्तु जब एक क्रेता संदीप कुमार केसरी द्वारा उपरोक्त प्लॉट संख्या-887 को खाता संख्या-5 में दर्शाते हुए रकवा-0.28 एकड़ भूमि के दाखिल खारिज हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया तो उक्त आवेदन पत्र की प्रविष्टि पंजी-27 में किये बिना नामांतरण करते हुए अवैध जमाबंदी प्रारंभ कर दिया गया तथा आनलाईन प्रविष्टि भी कर दी गई।

उक्त नामांतरण कार्य में मूल खतियान का भी अवलोकन नहीं किया गया। गौरतलब है कि नामांतरण के पश्चात् मूल पंजी के पृष्ठ संख्या 6 के रैयत सुन्दर सिंह जहाँ से उपरोक्त दाखिल खारिज वाद संख्या-192/2015-16 के माध्यम से रकबा घटाया गया है, वहाँ पर प्लॉट संख्या-887 की प्रविष्टि नहीं है।

3. उक्त आरोप पत्र पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त कर विभागीय पत्रांक-3925, दिनांक 11.06.2024 द्वारा श्रीमती तिर्की से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्रीमती तिर्की के पत्रांक-998, दिनांक 30.08.2024 द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित किया गया। श्रीमती तिर्की के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत इनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड प्रस्तावित किया गया।

4. उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-6689, दिनांक 08.10.2024 द्वारा श्रीमती तिर्की से द्वितीय कारण कारण पृच्छा की माँग की गई। श्रीमती तिर्की के पत्रांक-817, दिनांक 16.12.2024 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया। श्रीमती तिर्की द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में समर्पित मुख्य तथ्य निम्नवत् है

(i) नामांतरण वाद सं0-192R27/15-16 की प्रविष्टि पंजी 27 में नियमपूर्वक कराते हुए दाखिल खारिज की प्रक्रिया की गई है। उक्त दाखिल खारिज की प्रक्रिया आनलाईन की गई है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि आनलाईन रिकार्ड में कर्मा अंचल के मौजा गुस्साटोली के खाता नं0-5, प्लॉट सं0-887, रकबा 0.28 डिसमिल होने का दावा किया है। संबंधित हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा जांच के दौरान कोई खण्डन नहीं किया गया। आनलाईन रिकार्ड अर्थात् मूल खतियान एवं पंजी-II का संरक्षक संबंधित हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के पास था। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत खतियान का अवलोकन कराया गया था। इनके द्वारा अपने अधीनस्थों पर भरोसा किया और किसी प्रकार का अवैधानिक कार्य नहीं किया गया है।

(ii) केशरी द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में दिनांक 03.08.2015 को हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से उक्त भूमि के संबंध में दिनांक 10.08.2015 तक जाँचकर अनुशंसा सहित जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन अनुशंसा सहित समर्पित किया गया, जाँच प्रतिवेदन अनुसार “आवेदित भूमि का खतियानी रैयत का नाम आनंद सिंह पिता- दशरथ सिंह वगैरह है। पंजी-II में सुन्दर सिंह वगैरह के नाम से जमाबंदी कायम है। उक्त भूमि के खतियानी रैयत सुंदर सिंह है तथा विक्रेता दर्ज रैयत का पुत्रबहु है एवं जमाबंदी चल रही है। उक्त भूमि पट्टा सं0-981/922, दिनांक 17.06.15 से बिक्री हासिल कर शांतिपूर्वक दखलकार है। क्रेता एवं विक्रेता CNT Act से मुक्त है। आवेदित खाता खेसरा, गैरमजरूआ

खास, आम एवं अन्य सर्वाजनिक भूमि से मुक्त है। अतः आवेदित भूमि को आवेदक के नाम से नामांतरण की स्वीकृति दी जा सकती है” ।

(iii) हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में कार्यालय अंचल अधिकारी, कर्रा, खूँटी के द्वारा दिनांक 11.08.2015 को आम सूचना तथा खास सूचना कृष्णा सिंह उत्तराधिकारीगण को आपति आमंत्रित करते हुए निर्गत किया गया कि मौजा गुस्साटोली थाना सं-47, खाता सं-5 प्लाट सं-887, रकबा 0.28 एकड़ भूमि का दाखिल खारिज हेतु आवेदन प्राप्त है। आपति व्यक्त करने का अंतिम तिथि 26.08.2015 तक दर्ज करने का समय दिया गया। परंतु इस संबंध में किसी भी आमजनों, पार्टी एवं खास व्यक्ति के द्वारा कोई आपति दर्ज नहीं की गई ।

(iv) इनके द्वारा दाखिल खारिज की स्वीकृति हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा दिनांक 28.08.2015 को प्रस्तुत की गई जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में की गई। इनके द्वारा जो कार्य किया गया है, वह विधि के अनुकूल है। अपने अधीनस्थों पर विश्वास एवं भरोसे पर दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गई। इसमें इनकी कोई गलत मंशा नहीं थी, क्योंकि भूमि के संबंध में इनके द्वारा हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से स्पष्ट जाँच प्रतिवेदन अनुशंसा सहित मांगा गया था ।

(v) मामला संज्ञान में आया कि आवेदक द्वारा गलत तथ्यों, जालसाजी कर एवं गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर दाखिल खारिज करा लिया गया है, तुरंत उक्त दाखिल खारिज को रद्द करने हेतु अंचल अधिकारी, कर्रा को दाखिल खारिज वाद संख्या 192R27/2015-16 का नमांतरण आदेश के विरुद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता खूँटी के पास अपील दायर करने हेतु अनुरोध किया गया।

(vi) भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी के न्यायालय द्वारा दा०खा० अपील वाद सं०-01/2024-25 में अपीलकर्ताओं के द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए दिनांक 05.08.2024 को आदेश पारित करते हुए नामांतरण सं०-192R27/15-16 में पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील वाद को स्वीकृत किया गया ।

(vii) अंचल अधिकारी, कर्रा के रूप में इनकी पहली पदस्थापन थी ।

5. श्रीमती तिर्की द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में समर्पित जवाब की समीक्षा की गई ।

अतः समीक्षोपरांत, श्रीमती निशा तिर्की, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-406/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, कर्रा, खूँटी के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्रीमती निशा तिर्की, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	NISHA TIRKEY 110081225168	श्रीमती निशा तिर्की, झांघ्रंसे (कोटि क्रमांक-406/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, करी, खूँटी के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:PTS/VET/646
